



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 14.07.2024

1. थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 205 किलोग्राम गांजा अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14.07.2024** को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये अन्तर्राज्यीय स्तर पर गांजे की तस्करी करने वाला गांजा तस्कर अभियुक्त कासम दीन पुत्र कालू खाँ को एसजेएम कट छिजारसी के पास बने फुट ओवर ब्रिज के पास से ट्रक/कंटेनर में क्रेटो के नीचे छिपाकर तस्करी कर उड़ीसा से गाजीपुर, दिल्ली ले जा रहे 205 किलोग्राम गांजे (अनुमानित कीमत करीब **30 लाख रुपये**) सहित **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- गांजा तस्कर कासम दीन से बरामद गांजे के बारे में पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं इस ट्रक/कंटेनर में गांजे को लेकर उड़ीसा से चला था और पुलिस से बचते-बचाते गांजे को लेकर गाजीपुर, दिल्ली जा रहा था। यह गांजा शक्ति सिंह पुत्र नामालूम निवासी बिहार व गाड़ी मालिक तस्लीम पुत्र नामालूम निवासी ग्राम किरूरी थाना तावडू जिला नूह मेवात हरियाणा द्वारा उड़ीसा से खरीदकर उक्त गाड़ी में लोड कराकर दिल्ली में गाजीपुर पहुँचाने के लिये बताया था तथा उन दोनों के द्वारा मुझे वही मिलने के लिये कहा गया था। लेकिन मैं रास्ता भटकने के कारण ग्रेटर नोएडा पहुँच गया था और अब मैं रास्ता पूछते-पूछते दिल्ली जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया। गांजा तस्कर उड़ीसा से कम कीमत में गांजा लाकर पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के कई जिलों और सीमावर्ती राज्यों में अधिक कीमत पर सप्लाई करते है।

गांजा तस्कर कासम दीन उपरोक्त के आपराधिक इतिहास एवं इसके नेटवर्क में शामिल 1-शक्ति सिंह 2-तस्लीम आदि अन्य और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा पूछताछ में आये अन्य तथ्यों पर भी पुलिस टीम द्वारा जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण--

1. कासम दीन (उम्र 38 वर्ष) पुत्र कालू खाँ निवासी ग्राम नारका थाना रामगढ जनपद अलवर राजस्थान

बरामदगी का विवरण--

1. 205 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 30 लाख रुपये)
2. गांजे की तस्करी में प्रयुक्त ट्रक/कंटेनर नं0 एचआर 55 एएल 4795

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 304/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा

2.थाना फेस 1 नोएडा पुलिस द्वारा, दुपहिया वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 06 मो0सा0 व 01 स्कूटी चोरी की बरामद

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14.07.2024** को थाना फेस 1 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये दुपहिया वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. पंकज उर्फ राहुल पुत्र ओमप्रकाश 2. सिद्धार्थ पुत्र अशोक कुमार को झुण्डपुरा बार्डर नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया। कब्जे से चोरी की 06 मो0सा0 01 स्कूटी बरामद।

घटना का विवरण-- एक मो0सा0 होण्डा साईन रजि0न0 DL3SCQ0366 बरामद की गयी जिसके सम्बन्ध में पूर्व से थाना फेस 1 नोएडा पर मु0अ0सं0 320/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर पंजीकृत है। अभियुक्तगण की निशांदाही पर सैक्टर 08 मे एफ 118 बिल्डिंग के सामने खण्डरनुमा बिल्डिंग से 05 अदद मो0सा0 चोरी की व 01 अदद स्कूटी चोरी की बरामद की गयी। बरामद मो0सा0 स्पलेंडर रजि0न0 DL5SAP0586 के सम्बन्ध में ई पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर एफआईआर नं0 016965/2024 पंजीकृत है, मो0सा0 आर 15 चैसिस नं0 ME1RG0614E0005782 के सम्बन्ध में ई पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर एफआईआर नं0 018447 पंजीकृत है, मो0सा0 स्पलेंडर चैसिस नं0 MBLHA10CGGHC15397 के सम्बन्ध में ई पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर एफआईआर नं0 019522/2022 पंजीकृत है, स्कूटी सुजुकी एक्सेस रजि0 नं0 DL13SN7326 व चैसिस नं0 103122 के सम्बन्ध में ई पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर एफआईआर नं0 026081/2023 पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 320/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर में धारा 317(2)/317(5) बी.एन.एस. की वृद्धि की गयी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 320/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तों का विवरण--

1. पंकज उर्फ राहुल पुत्र ओमप्रकाश निवासी जन्नू बनिया का किराये का मकान ग्राम चौड़ा रघुनाथपुर सेक्टर-22 नोएडा थाना सेक्टर-24 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष
2. सिद्धार्थ पुत्र अशोक कुमार निवासी सी 181 चौड़ा रघुनाथपुर सेक्टर-22 थाना सेक्टर-24 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष

अभियुक्त पंकज उर्फ राहुल उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 320/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बी.एन.एस. थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 429/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0 464/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0स0 776/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0स0 906/19 धारा 392/411 भादवि थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0स0 1569/19 धारा 379/411 भादवि थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0स0 1593/19 धारा 379/411 भादवि थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
8. मु0अ0स0 1609/19 धारा 414/482 भादवि थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
9. मु0अ0स0 1581/19 धारा 379/411/482 भादवि थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
10. मु0अ0स0 1592/19 धारा 379/411 भादवि थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
11. मु0अ0स0 788/18 धारा 379 भादवि थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
12. मु0अ0स0 428/19 धारा 379/411 भादवि थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद
13. मु0अ0स0 1695/19 धारा 379/411 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
14. मु0अ0स0 41729/19 धारा 379/411 भादवि थाना दयालपुर दिल्ली

अभियुक्त सिद्धार्थ उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 320/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बी.एन.एस. थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0स0 507/23 धारा 414 भादवि थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0 490/23 धारा 379/411 भादवि थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 06 अदद मो0सा0 चोरी की
2. 01 अदद स्कूटी चोरी की

3. थाना दनकौर पुलिस द्वारा, हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनांक 10.07.2024 को वादी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 09.07.2024 को वादी का चचेरा भाई कमल और उसके दोस्त जितेन्द्र के साथ ग्राम पिपलका में कुछ लोगो द्वारा उनके साथ मारपीट की गयी है, मारपीट करने के बाद कमल व जितेन्द्र को घायल अवस्था मे अभियुक्तगण मिन्दर के घर छोडकर भाग गये। सूचना मिलने पर पीड़ित पक्ष के लोग ग्राम पिपलका मे मिंदर के घर पर पहुँचे तो कमल व जितेन्द्र घायल अवस्था मिले जिन्हे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जहाँ उपचार के दौरान डाक्टर ने कमल को मृत घोषित कर दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 182/24 धारा 191(2)/190/110/115(2)/127(2)/103(1) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत हुआ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14.07.2024** को थाना दनकौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 182/24 धारा 191(2)/190/110/115(2)/127(2)/103(1) भारतीय न्याय संहिता में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त गौरव उर्फ बंगाली पुत्र सोमवीर उर्फ सोमी को अभियुक्त के मकान ग्राम दादूपुर से **गिरफ्तार** किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

1. गौरव उर्फ बंगाली पुत्र सोमवीर उर्फ सोमी निवासी ग्राम दादूपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 182/24 धारा 191(2)/190/110/115(2)/127(2)/103(1) भारतीय न्याय संहिता थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर